

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016—पौष 18, शक 1937

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-28-2014-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-28-2014-तेरह, दिनांक 18 जून, 2014 एवं क्र. एफ-3-28-2014-तेरह, दिनांक 16 जुलाई 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-ग में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग-ग के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“टीप उपरोक्त अनुक्रमांक 13 और 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन से विद्युत् का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को, तृतीय पक्ष को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् पर और इस विद्युत् ऊर्जा के कैप्टिव उपभोग पर, नीचे सारणी में वर्णित कालावधि तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी:—

सारणी

अनु.क्र. (1)	नवीकरणीय स्रोत (2)	छूट की कालावधि (3)	शर्तें (4)
1	सौर, विंड एवं बायोमॉस आधारित उत्पादन स्टेशन	10 वर्ष	कॉलम (3) में यथाउल्लेखित छूट की कालावधि ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत् का उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से प्रारंभ होगी :
2	लघु जल आधारित उत्पादन स्टेशन.	5 वर्ष	परन्तु यह छूट किसी विद्युत् वितरण अनुज्ञापत्र धारक/व्यापार कंपनी/फ्रैंचाइजी द्वारा किसी उत्पादक को ऑगजलरी उपभोग हेतु प्रदाय की गई विद्युत् पर लागू नहीं होगी:

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>परन्तु यह और कि यह छूट केवल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा के नवकरणीय स्रोतों आधारित उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्सहित करने हेतु जारी की गई नीतियों, अर्थात् मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 मध्यप्रदेश में लघु जल विद्युत् आधारित परियोजना क्रियान्वयन नीति, 2011 पवन ऊर्जा परियोजना नीति, 2012, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति-2012, में से किसी के अधीन स्थापित परियोजनाओं को उपलब्ध होगी.</p>

परन्तु निरसित मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1375-तेरह-2002, दिनांक 1 मार्च, 2002 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ 03-13-2007, दिनांक 24 मार्च 2007 के अधीन विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट का लाभ ले रहा कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट का लाभ प्राप्त करता रहेगा.''

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

Bhopal, the 8th January 2016

No.F-3/28/2014/Thirteen: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012) and in supersession of this Department's Notification No. F-3-28-2014-XIII dated 18th June, 2014 and No F-3-28-2014-XIII dated 16th July, 2015, the State Government, hereby, makes the following amendments in Part-C of the Schedule to the said Act, namely:-

AMENDMENTS

- 1/ In the said Act, in Schedule, after part C, the following note shall be added, namely:-

"Note: Notwithstanding anything contained at serial number 13 and 14 above, any person producing electricity from generating Station based on renewable sources of energy shall be exempted from payment of electricity duty on electricity sold or supplied to third party and on consumption of this

electrical energy for captive use for the period and subject to the conditions mentioned in the table below:-

TABLE

S. No.	Renewable source	Period of exemption	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Solar, Wind and Biomass based generating station	10 years	Period of exemption as mentioned in column (3) would commence from the date of commencement of generation of electricity by such generating station: Provided that the exemption shall not be available on energy supplied by a Distribution Licensee/Trading Company/Franchisee to the generator for its auxiliary consumption;
2.	Small Hydro based generating station	5 years	Provided further that the exemption shall be available only to the projects established under any of the policies issued by the New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh for promoting setting up of generating projects based on renewable sources of energy, namely, Policy for Implementation of Biomass based Electricity (Power) Projects in Madhya Pradesh, 2011, Policy for Implementation of Small Hydel Power based electricity projects in Madhya Pradesh, 2011, Wind Power Project Policy, 2012 and Policy for Implementation of Solar Power based projects in Madhya Pradesh, 2012.

Provided that any person getting benefit of exemption from payment of electricity duty under notification no. F-1475-XIII-2002 dated 1st March, 2002, read with notification no. F-3-13-2007 dated 24th March, 2007, issued under the repealed Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949, shall continue to get such exemption till the completion of the period specified in the said notification as per sub-section (2) of section 15 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012."

2/ The notification shall come in to force from the date of its publication in Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.